

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-वित्त/बजट) मध्य प्रदेश, भोपाल

PHONE NO./FAX NO.-0755 2674286, E-mail- apccfbgt@mp.gov.in

क्रमांक/कक्ष-03/बजट-1/एफ-3555/2019/5317 भोपाल, दिनांक 25/10/19

प्रति,

संयुक्त संचालक (प्रशासन)
सामुदायिक वन प्रबंधन परियोजना,
मध्यप्रदेश भोपाल।

विषय:- मांग संख्या 10-2406-01-001-0101-3555 मुख्यालय अंतर्गत अतिरिक्त बजट आवंटन वर्ष 2019-20।

संदर्भ:- आपकी अशासकीय टीप क्रमांक/31 दिनांक 11.10.2019

—00—

संदर्भित विषयांतर्गत आपकी मांग को दृष्टिगत रखते हुये एवं बजट उपलब्धता के आधार पर मांग संख्या 10-2406-01-001-0101-3555 मुख्यालय अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु उद्देश्य शीर्ष 11-वेतन भत्ते के विस्तृत शीर्ष 009-चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में निम्नानुसार बजट प्रदान किया जाता है:-

| (राशि रूपयों में) | | |
|-------------------|----------------------|-----------|
| पूर्व आवंटित राशि | अतिरिक्त आवंटित राशि | योग |
| 12,50,000 | 2,15,765 | 14,65,765 |

1. उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय शासन द्वारा समय-समय पर जारी मिलव्ययता संबंधी आदेशों/निर्देशों के अनुरूप किया जाना सुनिश्चित करें।

2. चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का भुगतान शासन द्वारा जारी मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम-1958 व लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/वित्त विभाग द्वारा जारी नियम एवं निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। उक्त नियम/निर्देश यथावत रहेंगे।



(विभाष कुमार ठाकुर)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट)
मध्य प्रदेश, भोपाल

पृ0क्रमांक/कक्ष-03/बजट-1/एफ-3555/2019/5418 भोपाल, दिनांक 25/10/19

प्रतिलिपि:- 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ। कृपया इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।

2. कक्ष प्रभारी, बजट आवंटन कक्ष, कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट) मध्यप्रदेश भोपाल, उक्त आवंटित राशि सर्वर में अपलोड करावें।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट)
मध्य प्रदेश, भोपाल